संख्याः–c·m· 660 / VI(1) / 2010–5(4) / 2010

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 30 नवम्बर, 2010

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अन्तर्गत पर्यटन योजनाओं पर प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–361 / 2–6–683 / 2010–11, दिनांक 02 नवम्बर, 2010 तथा पत्र संख्या–365 / 2–6–317 / 2010–11, दिनांक 03 नवम्बर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की पूर्ति हेतु संलग्न विवरणानुसार क्रमांक–01 से 07 तक की योजनाओं के लिए प्रथम चरण के कार्यो हेतु एवं क्रमांक–08 की पूर्ण योजना के लिए शासन को उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों पर टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि कुल ₹ 38.82 लाख **(₹ अड़तीस लाख बयासी हजार मात्र)** के प्राक्कलनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही राज्य सैक्टर के अन्तर्गत पर्यटन विकास की नई योजनायें की मद में ₹ 38.82 लाख **(₹ अड़तीस लाख बयासी हजार मात्र)** की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(2) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(3) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5) यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

(6) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण आवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री की परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047 / XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

..2

(10) स्वीकृत की जा रही प्रथम चरण की योजनाओं के द्वितीय चरण के प्राक्कलन गठित कर शीघ्र ही शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–571/XXVII(1)/2010, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 के प्रस्तर–2 के अनुक्रम में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत आवास गृहों के निर्माण जैसे निर्धारित मानकों वाले कार्यों में कन्सलटेंट के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कार्यदायी संस्था के पास इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक उपलब्ध होने के दृष्टिगत ऐसे कार्यों पर कन्सलटेंट की फीस इत्यादी पर व्यय किया जाना उचित नहीं पाया गया। अतएव ऐसे व्यय न करते हुए इन मदों से हुई बचतों को द्वितीय चरण के कार्यों में समायोजन के लिए प्रस्ताव किया जायेगा।

(11) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) आवंटित धनराशि का उपभोग 31 दिसम्बर, 2010 तक कर दिया जाय। अवशेष धनराशि समयनान्तर्गत शासन को समर्पित कर दिया जाय।

(13) उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटनपर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सैक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनायें–24–वृहत्त निर्माण कार्य के मानक मद के नामें डाला जायेगा।

(14) उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–577/XXVII(2)/2010, दिनांक 30 नवम्बर, 2010 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–C.M.660/VI(1)/2010–5(4)/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4– जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– अपर सचिव–मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन को घोषणा की पूर्ति के सम्बन्ध में सूचनार्थ।
8– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
10– वित्त अनुभाग–2.
11– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाईल।

संलग्न–यथोपरि।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

परिशिष्ट

शासनादेश संख्या–C.M. 660 /VI/2010–5(4)2010, दिनांक 30 नवम्बर, 2010 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क0 सं0	घोषणा संख्या	योजना का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	447/2009	जनपद पौड़ी में चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली कण्वाश्राम का पर्यटन की दृष्टि से विकास (प्रथम चरण)	0.51	0.51
2	60/2008	उत्तरकाशी के चौरंगीखाल में पर्यटक आवास गृह का निर्माण (प्रथम चरण)	0.85	0.85
3	229/2009	पौड़ी के व्यास घाट में 10 शैय्याओं के पर्यटक आवास गृह का निर्माण (प्रथम चरण)	0.60	0.60
4	97/2010	पौड़ी के पीठसैण में एम0पी0 थियेटर का निर्माण (प्रथम चरण)	1.94	1.94
5	27/2009	जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट में पर्यटन आवास गृह का निर्माण (प्रथम चरण)	17.69	17.69
6	23/2008	जनपद अल्मोड़ा के मल्ला मनीला के सौन्दर्यीकरण (प्रथम चरण)	1.96	1.96
7	251/2009	जनपद नैनीताल के रामगढ़ में ईको हट्स का निमार्ण (प्रथम चरण)	0.32	0.32
8	178/2009	जनपद टिहरी के श्री घण्टाकरण मंदिर गजा को पर्यटन सर्किट से जोड़ना	14.95	14.95
		योग :–	**38.82**	**38.82**

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।